UPGK010019482026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–865/2026

आयुब शेख पुत्र माजिद अली,
निवासी–वार्ड नं0–9, पोस्ट आफिस रोड, नगर पंचायत पीपीगंज, थाना पीपीगंज,
जिला गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,

मु0 अपराध संख्या–69/2026
धारा–115(2), 351(3), 85, 89 भारतीय न्याय संहिता व
धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–कैम्पियरगंज, जनपद–गोरखपुर।

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त आयुब शेख, जो मु0 अपराध संख्या–69/2026, धारा–115(2), 351(3), 85, 89 भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–कैम्पियरगंज, जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2– मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा रहनुमा की शादी दिनांक 21.05.2024 को मुस्लिम रीति रिवाज से आयुब शेख के साथ हुई थी। शुरू में सब कुछ सही था लेकिन शादी के बाद आयुब शेख व उसके पिता माजीद अली, माता समा व उनकी बहन हिना शेख आये दिन वादिनी से अपने माता–पिता से तीन लाख रूपया मॉगने का दबाव बनाते थे। मना करने पर उक्त लोग वादिनी को मारते–पीटते थे। दिनांक 28.01.2026 को शाम 6.00 बजे उक्त लोग एक राय व गोलबन्द होकर वादिनी को बहुत मारे–पीटे जिससे वादिनी को अंदरूनी चोटें लगी, वादिनी किसी तरह बची। उक्त लोगों ने वादिनी से कहा कि भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। उक्त लोग काफी मनबढ़ किस्म के व्यक्ति हैं तथा दहेज के लालची है। उसके बाद वादिनी को उसके मायके छोड़ दिये।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के 12 दिन बाद विलम्ब से दर्ज कराई गई है। विवेचक द्वारा बिना किसी चिकित्सीय साक्ष्य के आवेदक के विरूद्ध धारा–85, 89 भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। वादिनी को कोई भी वाह्य एवं आंतरिक चोट नहीं हुई है। वादिनी के मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना के समय वादिनी मुकदमा गर्भवती नहीं थी। आवेदक प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 21.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए कथन किया कि अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ अपनी पत्नी वादिनी से विवाह के कुछ दिन बाद से मार–पीट की जाती थी एवं उसे प्रताड़ित कियाजाता था तथा वादिनी का गर्भमपात करोन हेतु उसे जबरदस्ती दवा खिलाया गया जिसके कारण वादिनी का गर्भपात हो गया।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के लगभग 12 दिन बाद दर्ज कराई गई है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी का गर्भपात कराये जाने का कोई तथ्य अंकित नहीं है केवल बाद में वादिनी द्वारा दिये गये बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मामले की गम्भीरता बढ़ाने के लिये गर्भपात कराये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। गर्भपात कराये जाने के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय साक्ष्य इस स्तर पर केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 21.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

7– आवेदक/अभियुक्त आयुब शेख का उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को प्रकरण से सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन रू. 50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बंध–पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,

घ– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,

ड.– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वांछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

8– किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

9– इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये। इस आदेश की एक सॉफ्ट कापी आज ही ई–मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जाये।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–10.03.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.10 16:31:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court